



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032024-252609
CG-DL-E-05032024-252609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 142]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 4, 2024/फाल्गुन 14, 1945

No. 142]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 4, 2024/PHALGUNA 14, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 04 मार्च, 2024

सा.का.नि. 154(अ).—पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2023 का प्रारूप, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 29 की उपधारा (2) और उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 31 अक्तूबर, 2023 में प्रकाशित, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 814 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको जनता को अधिसूचना उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालिस दिन के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां तारीख 1 नवंबर, 2023 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, धारा 5, धारा 14, धारा 21, धारा 22 और धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम नियम, 2002 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पेट्रोलियम नियम, 2002 में,-

(i) नियम 2 में, उप नियम (1) में,-

(क) खंड(xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(xivक) “भारी मशीनरी” से हैवी जूट्री मशीनरी, निर्माण कार्य या कृषि कार्य या विशुद्धतः राजमार्ग के अलावा निर्माण कार्य करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए या सड़क नेटवर्क से भिन्न परिसर, कारखाना, पत्तन या खान के भीतर उपयोग हेतु डिजाइन और अपनाए गए ऐसे लिफ्टिंग उपस्कर यान अभिप्रेत है जो अपनी ऊर्जा से सार्वजनिक सड़कों पर यात्रा के लिए सज्जित नहीं हो।

(xivख) “भारी यान” से कृषि, खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यों के लिए उपयुक्त उपकरणों के साथ डिजाइन किए गए यान “ऑन या ऑफ” के साथ उपांतरित और विनिर्मित या “ऑन और ऑफ” राजमार्ग क्षमताओं के साथ और एक गैर-परिवहन, गैर-माल या गैर-यात्री यान अभिप्रेत है;स्पष्टीकरण: इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, “भारी यान” में मोटर यान अधिनियम, 1988 में परिभाषित ट्रैक्टर सम्मिलित नहीं है;

(ख) खंड(xxvi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(xviक) “आईएसओ टैंक कंटेनर” से पेट्रोलियम फ्रेट कंटेनर अभिप्रेत है, जो आईएसओ टैंक कंटेनर ढांचे पर लगाया गया हो, जो टिवस्टर लॉक द्वारा सुरक्षित हो, जो तरल पेट्रोलियम की ढुलाई के लिए उपयुक्त हो, जिसे सड़क मार्ग, रेल या समुद्र मार्ग पर चलाया जा सकता हो, जिसमें परिवहन के इन रूपों के बीच एक मार्ग से दूसरे पर जाना सम्मिलित हो, जिसे परिवहन के लिए गुरुत्वाकर्षण या दबाव निर्वहन द्वारा लोड या अनलोड किया जा सकता है और जो मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा स्वीकार किए गए राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण, अंकन के अनुरूप हो;

“(xvi ख) “आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क” से ऐसी टैंक माउंटिंग अभिप्रेत है, जो अंतिम संरचना और सभी भार वहन करने वाले तत्व जो कार्गो रखने के प्रयोजनों के लिए उपस्थित नहीं हैं, जो समग्र रूप से टैंक कंटेनर को उठाने, संभालने, सुरक्षित करने और परिवहन से उत्पन्न होने वाली स्थैतिक और गतिशील शक्तियों को संचारित करते हैं और मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण के अनुरूप हैं;

(ग) खंड(xxiv) में, शब्द “प्रयोजनों” के बाद, “चौथी अनुसूची में यथा-परिभाषित सर्विस स्टेशन के खतरनाक क्षेत्रों की सीमा के बाहर स्थापित गैर-ईंधन सुविधाएं भी शामिल हैं” शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) खंड(xxvi) में, “पेट्रोलियम” शब्द के पश्चात्, “आईएसओ टैंक कंटेनर सहित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ.) खंड(xxxiii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात् :-

“(xxxiii) (क) “तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण (टीपीआईए)” से खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अधीन यथापरिभाषित बड़ी दुर्घटना के खतरों वाले परिसर के सुरक्षा ऑडिट सहित इन नियमों के अधीन परीक्षण और प्रमाणन करने के लिए मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संगठन और सक्षम व्यक्तियों के लिए यथा-लागू अर्हता और अनुभव वाले व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ii) नियम 4 में, उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) इन नियमों में कुछ भी अनुसंधान और विकास के लिए पेट्रोलियम युक्त कंटेनरों के आयात के लिए लागू नहीं होगा परंतु इनकी पैकिंग समय-समय पर यथा-संशोधित अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के खतरनाक माल संबंधी विनियमों के अनुरूप हो”;

(iii) नियम 8 में, -(क) उप नियम (1) में शब्द “इस प्रकार मरम्मत किए जाने वाले” “अथवा टीपीआईए” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) परीक्षण और प्रमाणन के लिए फीस पहली अनुसूची के भाग ख में यथाविनिर्दिष्ट होगी”;

(iv) नियम 13 में, -

(क) उप नियम (1) में, “मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर के पक्ष में लिखे गए क्रास किए गए बैंक ड्राफ्ट द्वारा या ई-संदाय के माध्यम से” शब्दों के स्थान पर “ई-संदाय के माध्यम से या गैर-कर प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से” शब्दों को रखा जाएगा ;

(ख) उप नियम (2) का लोप किया जाएगा।

(v) नियम 14 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“14(क) आईएसओ टैंक कंटेनरों के आयात और परिवहन पर निर्बंधन- (1) कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक से आयात की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना पेट्रोलियम से भरे हुए अथवा भरे जाने के लिए आशयित किसी भी आईएसओ टैंक कंटेनर का आयात नहीं करेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन आयात अनुज्ञा की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक को प्ररूप 8 (क) में आवेदन प्रस्तुत करेगा, अर्थात् -

(क) आईएसओ टैंक कंटेनर की पूरी सामग्री को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता सहित प्ररूप 15 में जारी विधिमान्य अनुज्ञप्ति की एक प्रति;

(ख) निर्माता की निरीक्षण, परीक्षण रिपोर्ट और डिजाइन चित्र की दो प्रतियां जिसमें डिजाइन के व्यौरे, टैंक की पानी की क्षमता, इसकी फिटिंग और आईएसओ टैंक कंटेनर के निर्माण की सामग्री के विनिर्देशनों के विवरण दिखाए गए हों, जो मूल देश की सक्षम अभिकरण द्वारा विधिवत समर्थित हों;

(ग) मूल देश की सक्षम अभिकरण द्वारा जारी हाइड्रोटेस्ट प्रमाण पत्र और कंटेनर सुरक्षा प्रमाण पत्र (सीएससी) सहित आवधिक निरीक्षण और जांच की एक प्रति;

(घ) मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित सड़क मार्ग से परिवहन के लिए माउंटिंग ड्राइंग की तीन प्रतियां;

(ङ) आयात के बंदरगाह से अंतिम उपयोग स्थान तक आईएसओ टैंक कंटेनर की हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया;

(च) अनलॉडिंग के पश्चात् आईएसओ टैंक कंटेनर की वापसी अथवा स्थायी आधार पर भारत में उसके प्रतिधारण की अनुमानित तारीख के लिए स्व-घोषणा;

(छ) पहली अनुसूची के भाग ग में यथा-निर्दिष्ट संवीक्षा शुल्क।

(3) उपर्युक्त शर्तें पूरी होने के पश्चात्, मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक मुख्य नियंत्रक द्वारा यथा उपबंधित प्रारूप में अधिकतम तीन वर्षों के लिए वैध आयात अनुमति प्रदान करेगा।

(vi) नियम 19 में, उप नियम (1) में -

(क) खण्ड(क) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खण्ड(ख) में, "ऐसे पेट्रोलियम का भंडारण" शब्द के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्: -

"ऐसे पेट्रोलियम का भंडारण; और

(ग) आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन की स्थिति में, मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक द्वारा नियम 14 (क) के अधीन जारी आईएसओ टैंक कंटेनर के लिए आयात अनुमति";

(vii) नियम 27 के अधीन निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"भाग 4

वायु मार्ग द्वारा आयात

27(क) वायु मार्ग से आयात पर प्रतिबंध: (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा मुख्य नियंत्रक के साथ परामर्श करके इस प्रयोजन के लिए पेट्रोलियम का प्राधिकृत हवाई अड्डों को छोड़कर वायु मार्ग से कोई आयात नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण के विनियमों अथवा नागरिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा जिसकी अनुमति नहीं है, ऐसे किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद का आयात वायु मार्ग से नहीं किया जाएगा।

(3) पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति रखने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा उसका प्राधिकृत अभिकर्ता पेट्रोलियम को हवाई अड्डे में लाने से पूर्व हवाई अड्डे के प्रभारी अधिकारी और सीमा शुल्क आयुक्त को यथा निर्धारित आयात करने के लिए पेट्रोलियम का पूरा विवरण देते हुए घोषणा करेगा।

(4) आयातित पेट्रोलियम की सीधी सुपर्दगी लेने और उसे हवाई अड्डे से हटाने के लिए आयातकर्ता द्वारा उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी।

27(ख) वायु मार्ग से पेट्रोलियम का आयात करने से पहले घोषणा करनी होगी और प्रमाण पत्र और अनुज्ञप्ति प्रस्तुत होगा- वायु मार्ग से पेट्रोलियम आयात करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सीमा शुल्क आयुक्त को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, अर्थात् :-

(क) प्ररूप 1 में एक घोषणा जो उसके अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो;

(ख) उसके अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 2 में भंडारण स्थल का प्रमाण पत्र;

(ग) ऐसे पेट्रोलियम के आयात और भंडारण के लिए रखे गए अनुज्ञप्ति की एक अधि-प्रमाणित प्रति;

(घ) नागरिक उड्डयन महानिदेशक से लैडिंग परमिट और;

(ङ.) वायु मार्ग से पेट्रोलियम के परिवहन के लिए संबंधित फ्लाइट ऑपरेटर से एक अनुमति पत्र;

परंतु इस नियम में किसी बात के होते हुए अधिनियम की धारा 7, 8 और 9 के अधीन छूट प्राप्त पेट्रोलियम के आयात पर लागू नहीं होगा:

परंतु यह और कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन छूट प्राप्त मात्रा में थोक में पेट्रोलियम "श्रेणी ग" के आयात के लिए खण्ड(ग) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

27(ग) पेट्रोलियम की अनलोडिंग के लिए सीमा शुल्क आयुक्त की अनुमति - (1) सीमा शुल्क आयुक्त की अनुमति के बिना कोई भी पेट्रोलियम अनलोड नहीं किया जाएगा।

(2) सीमा शुल्क आयुक्त, निम्नलिखित दस्तावेज, अर्थात् :-

(क) पेट्रोलियम संबंधी जांच अधिकारी की रिपोर्ट;

(ख) प्ररूप 2 में प्रमाण पत्र, यदि नियम 27 (ख) द्वारा अपेक्षित है;

(ग) नागरिक उड्डयन महानिदेशक से लैडिंग परमिट यदि नियम 27 (ख) द्वारा अपेक्षित हो;

(घ) वायु मार्ग से पेट्रोलियम के परिवहन के लिए संबंधित फ्लाइट ऑपरेटर से अनुमति पत्र;

(ङ.) अनुज्ञप्ति, यदि नियम 27(ख) द्वारा आवश्यक हो; प्राप्त करने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त पूछताछ करने के बाद जो वह आवश्यक समझे तथा संतुष्ट हो जाए कि पेट्रोलियम को वैध रूप से आयात किया जा सकता है और इसके लिए उपयुक्त स्थान है, तो वह इसे उतारने की अनुमति देगा;

(3) यदि सीमा शुल्क आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि आयातित किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद का भारत में भंडारण नहीं किया जाना है, किन्तु अनलोडिंग के तुरंत पश्चात् उसे भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भेजा जाना है, तो वह नियम 27 (ख) की अपेक्षाओं को अधित्यक्त कर सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन जो विनिर्दिष्ट की जाएं, उसके द्वारा लिखित आदेश परमिट द्वारा ऐसे पेट्रोलियम उत्पाद को उस स्थान पर तत्काल भेजने के प्रयोजन से अनलोड किया जाएगा।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए अस्थायी तौर पर लागू किसी अन्य विधि अथवा नियम के अधीन पेट्रोलियम को रोके रखने की सीमा शुल्क आयुक्त की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा;

(viii) नियम 32 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "पोत" शब्द के पश्चात्, "आईएसओ टैंक कंटेनर" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) स्पष्टीकरण में, "मुख्य नियंत्रक" शब्दों के पश्चात् "अथवा नियंत्रक" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ix) नियम 70 में, उप-नियम (1) में, खण्ड(iii) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस नियम के खण्ड(ii) और (iii) में किसी बात के होते हुए समय-समय पर सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट बीएस-IV अथवा उन्नत इंजन वाले वाहन पर लागू नहीं होगा;"

(x) नियम 75 में,-

(क) उप-नियम (1) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के पश्चात्, "अथवा अनुमति" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(3) आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से पेट्रोलियम श्रेणी क अथवा ख के परिवहन के लिए मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक से अनुमति प्राप्त की जाएगी। ऐसी अनुमति मुख्य नियंत्रक द्वारा विहित प्रारूप में जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी;

(4) (क) उप-नियम (3) के अधीन अनुमति चाहने वाले व्यक्ति को मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक को पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट संवीक्षा शुल्क के साथ प्ररूप 7 क में आवेदन प्रस्तुत करना होगा;

(ख) मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक उप-नियम (क) के अधीन दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् तथा ऐसी और पूछताछ, जिसे वह आवश्यक समझता है, करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट होने पर कि वाहन इन नियमों में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करता है, आवेदक को विधिवत पृष्ठांकित ड्राइंग की एक प्रति के साथ आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम श्रेणी क अथवा ख के परिवहन के लिए अनुमति जारी करेगा।

(xi) नियम 76 में, उप-नियम (3) में, "(1934 का 22)" प्रतीकों और अंकों के पश्चात्, "और इन नियमों के प्ररूप 19 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त वाहनों द्वारा भारी यानों/भारी मशीनरी/अचल उपकरणों में साइट पर ईंधन भरना" शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xii) नियम 77 में, "पुनः जांच की गई" शब्दों के पश्चात्, "एक सक्षम व्यक्ति अथवा टीपीआईए द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(xiii) नियम 85 में, -

(क) उप-नियम (1) में, "सक्षम उत्तरदायी व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "सक्षम व्यक्ति अथवा टीपीआईए" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5) आईएसओ टैंक कंटेनर फ्रेमवर्क और/ अथवा आईएसओ टैंक कंटेनर की प्रत्येक मरम्मत के बाद फैब्रिकेशन कोड में अधिकथित रीति से जांच की जाएगी।

(xiv) नियम 89 में, उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उप-नियम (2) के अधीन ड्राइंग और शुल्क प्राप्त होने पर और ऐसी यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् मुख्य नियंत्रक, यदि वह संतुष्ट हो तो प्रस्तावित पाइपलाइन को उपयुक्त समझी जाने वाली ऐसी शर्तों के अधीन अनुमोदित करेगा" ;

(xv) नियम 90 में, उप-नियम (1) में, "इस्पात" शब्द के पश्चात् "अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त सामग्री" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xvi) नियम 93 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियमों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) सक्षम व्यक्ति अथवा टीपीआईए द्वारा पाइपलाइन की हाइड्रोस्टैटिक जांच की जाएगी।

(2ख) सक्षम व्यक्ति अथवा टीपीआईए उप-नियम (1) के अधीन यथा-अपेक्षित जांच करेगा और एक प्रमाण पत्र जारी करेगा; इस प्रकार जारी किया गया प्रमाण पत्र मुख्य नियंत्रक को प्रस्तुत किया जाएगा" ;

(xvii) नियम 98 में, "काटने अथवा पुनःवैलिड करने वाले" शब्दों के स्थान पर, "अथवा तप्त वर्क" शब्दों को रखा जाएगा;

(xviii) नियम 106 में,-

(क) उप नियम (1) में, "60079-II" अंकों के पश्चात् "आईएस/आईसी 60079-26" चिन्हों, शब्दों और अंकों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) में, खण्ड(i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) आईएस/आईसी 60079-1, आईएस/आईसी 60079-2, आईएस/आईसी 60079-5, आईएस/आईसी 60079-6, आईएस/आईसी 60079-7, आईएस/आईसी 60079-11, आईएस/आईसी 60079-18 और मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष मानक के अनुरूप फ्लेमप्रूफ अथवा प्रेशराइज्ड टाइप अथवा पाउडर भरा अथवा तेल में डूबा हुआ अथवा बढी हुई सुरक्षा अथवा आंतरिक रूप से सुरक्षित या एनकैप्सुलेटेड उपकरण, अथवा";

(ग) उप-नियम (3) में खण्ड(i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) आईएस/आईसी 60079-15 और मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित एक टाइप के अनुरूप गैर-स्पार्किंग उपकरण; अथवा";

(घ) उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3क) एक्स—इलैक्ट्रिकल एपरेटर्स का चयन आईएस 16724:2018/आईसी60079-14 अथवा आईसी 60079-14 अथवा मुख्य नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किसी अन्य समकक्ष मानक में यथा-परिभाषित उपकरण सुरक्षा स्तर (ईपीएल) के अनुसार होगा";

(xix) नियम 114 में, "व्यक्ति" शब्द के पश्चात् "जो विद्युत इंजीनियर है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(xx) नियम 117 में, उप-नियम (4) में, खण्ड(ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) नए/भावी प्रतिष्ठान के अन्य क्षेत्रों पर प्रदान की जाने वाली अग्निशमन सुविधा का पैमाना ओआईएसडी मानक 244 में दी गई अपेक्षा के अनुसार होना चाहिए। मुख्य नियंत्रक द्वारा पहले से अनुमोदित प्रतिष्ठान ओआईएसडी मानक 117 द्वारा अभिशासित होंगे।"

(xxi) नियम 120 में उप-खण्ड(5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :-

“स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जल निकासी के संबंध में यथा-लागू मानकों का पालन किया जाएगा।”

(xxii) नियम 122 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण: मुख्य नियंत्रक अथवा नियंत्रक पेट्रोलियम के भंडारण और वितरण से सीधे नहीं जुड़े हुए अन्य प्रयोजनों के लिए सर्विस स्टेशन के उपयोग की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है।"

(xxiii) नियम 124 में, उप-नियम (1) में, "एपीआई:650" शब्द और अंक के पश्चात्, "अथवा एएसटीएम डी3299-18, बीएस ईएन 13121-3, यूएल1316" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(xxiv) नियम 126 में, -

(क) उप-नियम (1) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "अथवा टीपीआईए" शब्दों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (3) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "अथवा टीपीआईए" शब्दों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (4) में, टैंक परीक्षण प्रमाण-पत्र के प्रारूप को निम्नलिखित प्रारूप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

टैंक परीक्षण प्रमाण-पत्र का प्रारूप

[देखें नियम 126]

क्र.सं.	टैंक की पहचान संख्या	व्यास (मीटर में)	ऊँचाई अथवा लम्बाई (मीटर में)	निर्माण मानक	टैंक का प्रकार	क्षमता	पेट्रोलियम की श्रेणी	परीक्षण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								

उपर्युक्त टैंकों के सम्बन्ध में, अनुज्ञप्ति संख्या के अधीन श्री/श्रीमती/सुश्री (प्रतिष्ठान/सर्विस स्टेशन, जैसी भी स्थिति हो, के अधिभोगी का पूरा नाम) ने (स्थान, थाने, जिला, राज्य का नाम) पर प्रतिष्ठान /सर्विस स्टेशन(जो लागू न हो उसे काट दीजिए) के भीतर स्थापित किए हैं।

(अनुज्ञप्ति को संशोधित किए जाने अथवा टैंक की मरम्मत की दशा में भरा जाए)

प्रमाणित किया जाता है कि पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 126 के अनुसरण में मैंने, उपर्युक्त वर्णित टैंकों का उनकी संस्थापना एवं अंतिम रूप से सुरक्षित/ उनकी मरम्मत किए जाने के पश्चात् डिजाइन कोड में यथा-विनिर्दिष्ट जल दबाव के माध्यम से परीक्षण किया है और इन्हें रिसाव-मुक्त एवं पेट्रोलियम भंडारण के लिए उपयुक्त पाया है। (जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें)

मैं/हम उद्घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने ऊपर दिए गए विवरणों की जांच कर ली है और ये सही हैं। मैं/हम, परिसर में उपस्थित था/थे तथा पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों एवं तत्संबन्धी बनाए गए नियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या नियमों के अनुसरण में ऊपर दिए गए विवरणों के अनुरूप उपर्युक्त टैंकों का परीक्षण किया है।

तारीख

.....

प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम व्यक्ति

अथवा टीपीआईए के पूरे हस्ताक्षर

उसकी मान्यता प्राप्त अर्हता.....

उसका पूरा नाम और पता.....

(xxv) नियम 130 में, -

(क) उप-नियम (1) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "अथवा टीपीआईए" शब्दों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (1ख) के पश्चात्, सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र के प्रारूप में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "अथवा टीपीआईए" शब्दों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (2) के खण्ड (i) में -

(i) "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के पश्चात् "अथवा टीपीआईए" शब्दों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ग) पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान की जाएगी और जब तक सक्षम व्यक्ति अथवा टीपीआईए 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक प्रदर्शन रिपोर्ट एवं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता-प्राप्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर इसे प्रत्येक तीन वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा।

(घ) उप-नियम (2) में, खण्ड(ii) में, "सक्षम व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, "अथवा टीपीआईए" शब्दों और अक्षरों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xxvi) नियम 144 में :-

(क) उप- नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(6क) उप-नियम (1) के अधीन गैस सिलेंडर नियम, 2016 के अधीन प्रपत्र "छ" में अनुज्ञप्ति प्राप्त सीएनजी स्टेशन का एक हिस्सा बनाने वाले प्रपत्र XIV में अनुज्ञप्ति अथवा प्रपत्र 'एलएस-1 ख' में अनुज्ञप्ति प्राप्त ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन अथवा स्थिर और मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) नियम, 2016 के अधीन "एलएस-1ग" प्रपत्र में एलएनजी डिस्पेंसिंग स्टेशन अनुज्ञप्ति के लिए जिला प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की कोई अपेक्षा नहीं होगी।

(ख) उप-नियम (7) में, अनापत्ति प्रमाण पत्र के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्रोफार्मा"

अनापत्ति प्रमाण पत्र

[नियम 144 देखिए]

संख्या.....

तारीख.....

विषय: अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/मैसर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या तारीख..... के संदर्भ में और पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम 144 के अनुसरण में श्री/श्रीमती/मैसर्स निवासी/पता..... को

उनके परिसर, सर्वेक्षण संख्या/गाटा संख्या/खसरा संख्या प्लॉट संख्या..... ग्राम तालुका/तहसील जिला राज्य , जैसा कि स्थल योजना में दर्शित किया है और इसके साथ सम्यक रूप से पृष्ठांकित तथा संलग्न है, में पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(1) इस अनापत्ति प्रमाण पत्र को जारी करते समय निम्नलिखित विशिष्टियों पर विचार किया गया है, कि -

(क) राजस्व विभाग से मामले पर टिप्पणी कि स्थल आवेदक के विधिमान्य कब्जे में है और भू-स्वामी या पट्टा धारक से इन नियमों के अधीन पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण के लिए परिसर का विकास करने का प्राधिकार प्राप्त है;

(ख) यातायात संबंधी भीड़भाड़ और यातायात पर प्रभाव के संबंध में पुलिस विभाग की टिप्पणियां;

(ग) स्कूलों, अस्पतालों सहित स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रस्ताव की अनुरूपता और शमन उपाय, यदि कोई हों, के संबंध में संबंधित नगर निगम या ग्राम पंचायत या स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण की टिप्पणियां उपबंधित की जाती हैं;

(घ) सड़क सुरक्षा, सड़क संरक्षण और सड़क तक पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण की टिप्पणियां।

(ङ.) आपातकाल की दशा में फायर टेंडरों के लिए साइट तक पहुंच और आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं की तैयारियों के संबंध में अग्निशमन विभाग की टिप्पणियां।

अपनी सरकारी मुहर के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिला प्राधिकारी (ऐसे नगरों के लिए जहां एक पुलिस आयुक्त, आयुक्त या एक पुलिस उपायुक्त हो और किसी अन्य स्थान के लिए जिला मजिस्ट्रेट) के हस्ताक्षर

टिप्पण:- "प्राधिकरण अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने पर विचार करने के लिए इसके जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वीकार करेगा।"

(xxvii) नियम 146 के उप-नियम (2) में खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ii) प्रस्तावित फेरबदल की संवीक्षा के लिए पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट फीस";

(xxviii) नियम 200 में, -

(क) उप-नियम (1) में, खण्ड (क) में, "फैक्स" पश्चात के पश्चात, "या ई-मेल या संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके के" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (2) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

परंतु यह कि मुख्य नियंत्रक या उसके प्रतिनिधि द्वारा ऐसा दौरा ऐसी दुर्घटना की सूचना की तारीख से शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा किंतु सात दिन के पश्चात नहीं।";

(xxix) पहली अनुसूची में:-

(क) भाग ख में, -

(i) क्रम संख्या 5 में, प्रयोजन से संबधित कॉलम में "नियम के अंतर्गत" शब्दों के पश्चात् "8 और" अंक और शब्द अंतःस्थापित जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 6 में, प्रयोजन से संबधित कॉलम में "नियम के अंतर्गत" शब्दों के पश्चात्, "8 और" अंक और शब्द अंतःस्थापित जाएंगे;

(ख) भाग ग के स्थान पर निम्नलिखित भाग ग रखा जाएगा, अर्थात्:

"भाग ग"

अनुज्ञप्ति फीस से भिन्न अन्य फीस

क्र.सं.	मदें	फीस (रुपए)	नियम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	पेट्रोलियम "श्रेणी क" या "श्रेणी ख" के लिए कंटेनर के अनुमोदन के लिए	5000	4(2)
2.	आईएसओ टैंक कंटेनर के लिए आयात अनुज्ञा	5000	14(क)
3.	पत्तन जिन पर पेट्रोलियम का आयात किया जा सकता है	10000	16(4)(घ)
4.	किसी भी पोत या बार्ज से किसी भी स्थान पर थोक पेट्रोलियम की उतराई और लदान	6000	44(2)(घ)
5.	i.टैंक यान या ईंधन भरने वाले या सुरक्षा फिटिंग फैब्रिकेशन शॉप का अनुमोदन ii.तीन वर्ष के लिए फैब्रिकेशन शॉप का नवीनीकरण iii.टैंक माउंटिंग ड्राइंग का अनुमोदन iv.टैंक यान या ईंधन भरने वाले की सुरक्षा फिटिंग के डिजाइन का अनुमोदन	1500 1500 1000 2000	63(2)
6.	भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर के परिवहन की अनुज्ञा	5000	75(3)
7.	पाइपलाइन के डिजाइन और मार्ग का अनुमोदन	5000	89(2)(ii)
8.	पाइपलाइन में परिवर्धन और परिवर्तन	2000	97(2)(ख)
9.	परिसंकटमय क्षेत्रों में उपयोग के लिए विद्युत साधित्र	2000	106(4)
10.	i.सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए की मान्यता ii.सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए की मान्यता का तीन वर्ष के लिए नवीनीकरण	5000 3000	130(2)(i)
11.	परिसर की विनिर्देशों और योजनाओं का पूर्वानुमोदन	2000	131(1)(ख)
12.	पेट्रोलियम "श्रेणी ग" के भंडारण की पूर्व रिपोर्ट के लिए संवीक्षा फीस	2000	140(ii)
13.	परिवर्धन और परिवर्तन के लिए पूर्वानुमोदन	2000	146 (2)(ii)
14.	अनुज्ञप्ति का संशोधन	2000	147(2)
15.	अनुज्ञप्ति का अंतरण	2000	156(2)(iv)

16.	मूल अनुज्ञप्ति के समाप्त न हुए हिस्से के लिए नई अनुज्ञप्ति	1000	157(3)
17.	अनुज्ञप्ति की अनुलिपिक प्रति	1000	158
18.	लाइसेंस की अधिप्रमाणित प्रति	500	159(2)(क)
19.	रिफाइनरी का अनुमोदन	15000	162(3)(ii)
20.	रिफाइनरी में संशोधन	5000	164(2) (ii)
21.	प्रपत्र 6 में परीक्षणों का प्रमाण पत्र	2000	195(2)
22.	1. निरीक्षण और तुलना के लिए फीस निम्नानुसार होगी:- i.परीक्षण साधित्र ii.निजी स्वामित्व वाले परीक्षण साधित्र की तुलना करना 2. मानक परीक्षण साधित्र निम्नानुसार होंगे:- i.परीक्षण उपकरण ii.बैरोमीटर iii.थर्मोमीटर	1000 1500 1000 1000	196
23.	पेट्रोलियम के प्रत्येक नमूने का परीक्षण	1000	197";

(xxx) दूसरी अनुसूची में, -

(क) प्ररूप 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्, -

“प्ररूप 1

[नियम 17, 26 और 27ख (क) देखें]

पत्तन में प्रवेश करने से पहले समुद्री मार्ग से पेट्रोलियम ले जाने वाले पोत के मालिक या अभिकर्ता द्वारा या आयातक या उसके अभिकर्ता द्वारा जमीनी या हवाई मार्ग द्वारा पेट्रोलियम का आयात करने से पूर्व की जाने वाली घोषणा

1. पोत या वायुयान का नाम
2. आवेदक का नाम.....
3. आवेदक का पूरा डाक पता और पिन कोड.....
4. आवेदक का दूरभाष संख्या और ईमेल.....

गाड़ी की विशिष्टियां

पेट्रोलियम का नाम	पोत या गाड़ी या वायुयान में कुल मात्रा	भारत में उतारने के लिए पेट्रोलियम मात्रा	टिप्पणियां
पेट्रोलियम “श्रेणी क” जिसका उपयोग आंतरिक दहन इंजन में किया जा सकता है			
अन्य			
पेट्रोलियम “श्रेणी क”			
पेट्रोलियम “श्रेणी ख”			
पेट्रोलियम “श्रेणी ग”			

पोत के मालिक या अभिकर्ता/या आयातक के हस्ताक्षर";
(ख) प्ररूप 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्, -

“प्ररूप -2

[नियम 19, 26 और 27ख(ख) देखें]

भण्डारण स्थल का प्रमाण पत्र

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं(पोत का नाम या गाड़ी या वायुयान की विशिष्टियां) द्वारा (तारीख, मास, वर्ष) को या उसके आसपास से आने वाले पेट्रोलियम की निम्नलिखित परेषण को(पत्तन का नाम या आयात का स्थान या विमान पत्तन का नाम) भंडारण टैंकों या शेड पर में संग्रहीत करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिसकी विशिष्टियां स्तंभ (1) की मद (i) और (ii) में दिया गया है और मैं प्रमाणित करता हूँ कि नीचे दिए गए कथन में दर्शाई गई यथाउपलब्ध क्षमता और उक्त स्तंभ के मद (iii) में दर्शाई गई यथाउपलब्ध संबंधित पेट्रोलियम के भंडारण के लिए सम्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त है।

उस परिसर के लिए भंडारण अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां जिसमें आयातित पेट्रोलियम की उतराई की जाएगी :

_____ को तारीख..... तक
नवीनीकृत/वैध किया जाता है।

आयातक या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम सहित पूरा नाम: _____

पत्राचार का पूरा पता : _____

तारीख

विवरण

आयात एवं भंडारण क्षमता का विवरण		पेट्रोलियम “श्रेणी क”	पेट्रोलियम “श्रेणी ख”	पेट्रोलियम “श्रेणी ग”
क	(i) भंडारण टैंकों की कुल अनुज्ञप्त क्षमता			
	(ii) भंडारण टैंकों में उपलब्ध कुल क्षमता			
	(iii) वर्तमान परेषण द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमता			
ख	(i) भंडारण शेडों की कुल अनुज्ञप्त क्षमता			
	(ii) भंडारण शेडों में उपलब्ध कुल क्षमता			
	(iii) वर्तमान परेषण द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमता			

(ग) प्ररूप 7 के, भाग ख में, "मान्यता प्राप्त इंजीनियर" शब्दों के स्थान पर "सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) प्ररूप 7 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“प्ररूप 7 क

[नियम 14क और 75(3) देखें]

भारत में आईएसओ टैंक कंटेनर आयात करने या भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में पेट्रोलियम “श्रेणी क” या “श्रेणी ख” का परिवहन करने की अनुज्ञा अनुदत्त करने के लिए आवेदन :

1. वह नाम, जिस पर अनुज्ञा अपेक्षित है:

(i) आवेदक का नाम

(ii) आवेदक का पूरा डाक पता

(iii) दूरभाष नंबर और ई-मेल

2. पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन प्ररूप 15 में आवेदक द्वारा धारित भंडारण अनुज्ञप्ति की विशिष्टियां:

(i) मुख्य नियंत्रक/नियंत्रक द्वारा जारी भंडारण अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख

(ii) अनुज्ञप्ति की वैधता कब तक है

(iii) पेट्रोलियम की विभिन्न श्रेणी के लिए अनुज्ञप्ति की क्षमता

3. आईएसओ टैंक कंटेनर का विवरण:

- (i) मालिक का कोड और क्रमांक
- (ii) विनिर्माता की क्रम संख्या
- (iii) मॉडल संख्या
- (iv) विनिर्माण का देश
- (v) विनिर्माण का वर्ष
- (vi) अनुमोदित करने वाला देश
- (vii) डिज़ाइन अनुमोदन के लिए प्राधिकृत निकाय
- (viii) आईएसओ टैंक कंटेनर और आईएसओ टैंक कंटेनर ढांचे के विनिर्देश
- (ix) विनिर्माता का नाम
- (x) अधिकतम स्वीकार्य कार्य दबाव
- (xi) परीक्षण दबाव
- (xii) प्रारंभिक दबाव परीक्षण तारीख
- (xiii) डिज़ाइन तापमान रेंज
- (xiv) विनिर्माण की सामग्री
- (xv) आईएसओ टैंक कंटेनर की जल क्षमता
- (xvi) आईएसओ टैंक कंटेनर का बिना लदे हुए टैयर का वजन
- (xvii) पेट्रोलियम का पेलोड
- (xviii) किसके द्वारा निरीक्षण और परीक्षण किया गया
- (xix) प्रचालन मापदंडों सहित आईएसओ टैंक कंटेनर में फिट की गई सुरक्षा फिटिंग के विनिर्देश
- (xx) डिज़ाइन आरेखण
- (xxi) माउंटिंग आरेखण
- (xxii) * _____ से भरा हुआ
- (xxiii) पेट्रोलियम का सही रासायनिक नाम और वर्ग

(xxiv) आईएसओ टैंक कंटेनर में भरे गए या भरे जाने के लिए आयातित पेट्रोलियम की किलोलीटर में मात्रा तथा प्रतिशतता में भी

(xxv) अंतिम हाइड्रोलिक परीक्षण की तारीख

4. आईएसओ टैंक कंटेनर माउंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले यान चेसिस का निर्माण और मॉडल:

- i. रजिस्ट्रीकृत लदान भार / सकल यान भार / यान चेसिस का सकल संयुक्त वजन
- ii. ट्रेलर के साथ यान चेसिस का बिना लदान के भार

5. आयात के पत्तन या लदान स्थल का नाम**6. टिप्पणियाँ:**

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई विशिष्टियों की मेरे/हमारे द्वारा जांच कर ली गई है और वे सही हैं। मैं/हम पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के उपबंधों और तद्विना बनाए गए नियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि या नियमों के उपबंधों के अनुसार आईएसओ टैंक कंटेनर में पेट्रोलियम का परिवहन करने का वचनबद्ध करते हैं, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है। मैं/हम समझते हैं कि उक्त अधिनियम और तद्विना बनाए गए नियमों का कोई भी उल्लंघन पहले अपराध के लिए साधारण कारावास से दंडनीय है जिसे एक मास तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है और तत्पश्चात प्रत्येक अपराध के

लिए साधारण कारावास, जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना, जो पांच हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

आवेदन की तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का डाक पता

इस आवेदन के साथ दो सेटों में जमा किये जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों की सूची-

1. आवेटैंक कंटेनर के लिए आयात अनुज्ञा देने के लिए 5000 रुपए का संवीक्षा फीस या भारतीय क्षेत्र के भीतर आईएसओ टैंक कंटेनर में सड़क मार्ग से थोक में "श्रेणी क" या "श्रेणी ख" पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 5000 रुपए की फीस;
2. प्ररूप 15 में जारी वैध अनुज्ञप्ति की एक प्रति जिसमें आईएसओ टैंक कंटेनर की पूरी अंतर्वस्तु को समायोजित करने की पर्याप्त क्षमता हो;
3. मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः पृष्ठांकित आईएसओ टैंक कंटेनर के विनिर्माता की निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्ट;
4. मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाइड्रोटेस्ट प्रमाणपत्र और कंटेनर सुरक्षा प्रमाणपत्र (सीएससी) सहित आवधिक निरीक्षण और परीक्षण की एक प्रति;
5. आईएसओ टैंक कंटेनर के डिजाइन विवरण दर्शाने वाली डिजाइन रेखांकन, टैंक की जल क्षमता, इसकी फिटिंग और इसके निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री के विनिर्देशों के विवरण, जो मूल देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तः पृष्ठांकित हो;
6. मुख्य नियंत्रक द्वारा सम्यक्तः अनुमोदित सड़क मार्ग से परिवहन के लिए विस्तृत यान माउंटिंग रेखांकन;
7. आयात के से अंतिम उपयोग अवस्थान तक आईएसओ टैंक कंटेनर की हैंडलिंग और परिवहन के लिए सुरक्षित प्रचालन प्रक्रिया";

(ड) प्ररूप 8 में, -

- i. "भाग 2" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "भाग ख" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे;
- ii. "मान्यता प्राप्त इंजीनियर" शब्दों के स्थान पर "सक्षम व्यक्ति या टीपीआईए" शब्द रखे जाएंगे;

(च) प्ररूप 14 में, -

- i. शर्त 5 में, "एक अन्य टैंक" शब्दों के पश्चात, "लाइसेंसिंग प्राधिकारी की लिखित पूर्व स्वीकृति के अलावा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- ii. शर्त 13 में, खण्ड (क) में, शब्द "पाइपिंग" के पश्चात, "या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित गैर-धातु लचीली पाइपिंग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- iii. शर्त 13 में, खण्ड (ख) में, शब्द "पाइपिंग" के पश्चात, "या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित गैर-धातु लचीली पाइपिंग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- iv. शर्त 21 में, "1981" अंकों के स्थान पर "2016" प्रतिस्थापित अंक रखे जाएंगे;
- v. शर्त 24 के पश्चात, निम्नलिखित शर्त अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः:-

"25. अनुज्ञप्ति प्राधिकारी किसी भी अतिरिक्त शर्त को लिखित रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में, मोटर वाहन में ईंधन भरने या परिसर की सुरक्षा से भिन्न किसी अन्य सुविधा की स्थापना के लिए आवश्यक है।"

(छ) प्ररूप 19 में "(ख) वाहनों/मशीनों/स्थिर उपकरणों की साइट पर ईंधन भरने के निमित्त पेट्रोलियम उत्पाद "श्रेणी क" या "ख" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे अर्थात्,-

"(ख) भारी यानों/भारी मशीनों/स्थिर उपकरणों की साइट पर ईंधन भरने के लिए पेट्रोलियम उत्पाद "श्रेणी ख"।

(ज) प्ररूप 20 में, -

(अ) "[नियम 2(vi) और 130 देखें]" कोष्ठक, शब्दों, अंक और अक्षरों के स्थान पर "[नियम 2 (vi), (xxxiii)क), 8, 93,126 और 130 देखें]" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(आ) तालिका और "क. सक्षम व्यक्ति की अर्हता और अनुभव" से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित तालिका और प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात्, -

"क. सक्षम व्यक्ति और तृतीय पक्ष निरीक्षण अभिकरण (टीपीआईए) की अर्हता और अनुभव:

क्र.सं.	नियम जिसके अधीन सक्षमता को मान्यता प्राप्त होती है	अर्हता और अन्य अपेक्षाएं	प्रयोजन के लिए अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियम 8, 126 और 130	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग डिग्री या समतुल्य; 2. परीक्षण और परीक्षा कराने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ।	पेट्रोलियम टैंकों के परीक्षण, निर्माण या प्रतिष्ठान या निरीक्षण या पेट्रोलियम भंडारण प्रतिष्ठानों के प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।
2.	प्ररूप 7 और 8 का भाग ख	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में डिग्री या डिप्लोमा; 2. परीक्षण और परीक्षा कराने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ।	पेट्रोलियम परिवहन टैंकों के परीक्षण और निर्माण या धारण और पेट्रोलियम टैंक यान के प्रचालन और रखरखाव में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।
3.	नियम 93	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से या केमिकल, मैकेनिकल या मेटलर्जी इंजीनियरिंग में डिग्री; 2. परीक्षण और परीक्षा कराने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ।	प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम या द्रवित पेट्रोलियम गैस पाइपलाइनों के परीक्षण, निर्माण या प्रतिष्ठान, रखरखाव में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव।

(इ) तालिका और आ से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, नियम 126, 130 या प्ररूप 7 या 8 के भाग के अधीन एक सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता के लिए आवेदन निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"ग. तृतीय पक्षकार निरीक्षण अभिकरण (टीपीआईए) के रूप में मान्यता के लिए आवेदन।

- संगठन का नाम और पूरा पता, संपर्क नंबर और ई-मेल के साथ:
- संगठन की प्रास्थिति (मालिकाना फर्म, साझेदारी फर्म, सरकारी संगठन, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, स्वायत्त निकाय, कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी, आदि):
- (i) संगठन की स्थापना:
(ii) नाम और अर्हता (संगठन के घटक सदस्यों का):
(iii) कालानुक्रमिक क्रम में पेशेवर अनुभव की विशिष्टियां:

क्र.सं.	संगठन का नाम	सेवा की अवधि	पदनाम	दायित्व का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				

नोट: संगठन के घटक सदस्यों को परिसंकेतों की पहचान, प्रक्रिया सुरक्षा, प्रक्रिया नियंत्रण, स्वचालन या उपकरणीकरण, विद्युत संपरीक्षा या एचएजेडओपी अध्ययन, ऑन साइट आपातकालीन योजना, परिमाणात्मक जोखिम विश्लेषण, परिक्षेपण मॉडल, कमीशन पूर्व सुरक्षा संपरीक्षा क्षेत्रपार पाइपलाइनों का हाइड्रो परीक्षण, पेट्रोलियम रिफाइनरियों या पेट्रोरसायन परिसर या पल्टनों या घाटों या क्षेत्रपार पाइपलाइनों या खतरनाक रसायन नियम, 1989 के विनिर्माण, भंडारण और आयात के अनुसार वर्गीकृत किसी अन्य परिसर के प्रचालन या रखरखाव या निरीक्षण का अनुभव होना चाहिए। (कृपया अनुभव के दस्तावेजी साक्ष्य उपाबद्ध करें)

4. वृत्तिक निकायों की सदस्यता, यदि कोई हो:
5. क्या संगठन के घटक सदस्यों को किसी क़ानून के अधीन सक्षम व्यक्ति घोषित किया गया है (यदि हां, तो ब्यौरा दें)
6. कोई भी अन्य जानकारी:
7. प्रत्येक घटक सदस्य द्वारा घोषणा (संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जानी है):
8. प्रधान सदस्य द्वारा घोषणा (प्रधान सदस्य द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जानी है):

स्थान: संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर
 तारीख: नाम और पदनाम
 संस्था की मुहर

घोषणा के लिए प्रारूप

प्रत्येक घटक सदस्य द्वारा घोषणा :

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है। मैं वचन देता हूँ -

(क) कि पूर्वोक्त संगठन छोड़ने की स्थिति में, मैं तुरंत मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा;

(ख) टीपीआईए के नियमों में निर्धारित सभी शर्तों और मुख्य नियंत्रक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों को पूरा करूंगा और उनका पालन करूंगा।

प्रधान सदस्य द्वारा घोषणा :

मैं _____ प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती
 जिनकी विशिष्टियां ऊपर दी गई हैं, तृतीय पक्षकार
 निरीक्षण अभिकरण के घटक सदस्य हैं। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं

(क) यदि सदस्य हमारा अभिकरण छोड़ता है तो मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा;

(ख) ऊपर उल्लिखित अनुसार अपने निपटान में सभी सुविधाएं प्रदान करूंगा और अच्छी स्थिति में बनाए रखूंगा;

(ग) सुविधाओं में किसी भी परिवर्तन के बारे में मुख्य नियंत्रक को सूचित करूंगा;

(xxxi) तीसरी अनुसूची में, -

क. आग के जोखिम के लिए आपातकालीन वेंटिंग से संबंधित मद 11 में, "लेकिन, 25 किलोलीटर और उससे अधिक क्षमता के टैंकों पर फ्यूज़िबल वेंट प्रदान नहीं किए जाएंगे" शब्दों का लोप किया जाएगा;

ख. अंकन और प्रमाणित करने से संबंधित मद 15 के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"16. आईएसओ टैंक कंटेनरों के लिए टैंक यान - (1) आईएसओ टैंक कंटेनर, संबद्ध पाइपिंग, फिटिंग और तरल पेट्रोलियम की दुलाई के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क, जो मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों, परीक्षण और अंकन के अनुरूप होगा।

(2) आईएसओ टैंक धारण, अंतःसंरचना और सभी प्रकार के लोड वहन करने वाले घटकों सहित आईएसओ टैंक फ्रेमवर्क ऐसे कार्गो को ले जाने के प्रयोजनों के लिए नहीं है, जो समग्र रूप से आईएसओ टैंक कंटेनर को उठाने, हैंडलिंग करने, सुरक्षित रखने और परिवहन के दौरान स्थिर और गतिशील बल को संचारित करता हो और मुख्य नियंत्रक द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन, विनिर्देशों और परीक्षण के अनुरूप हो।

(3) यदि आईएसओ टैंक कंटेनर की क्षमता 7.5 किलोलीटर से अधिक नहीं है तो पेट्रोलियम के परिवहन के लिए आईएसओ टैंक कंटेनर के अंदर बैफल की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(4) आईएसओ टैंक कंटेनर की अधिकतम क्षमता 26 किलोलीटर से अधिक नहीं होगी।

(5) अधिकतम क्षमता क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा प्रमाणित सकल वाहन भार के तत्स्थानी निर्बंधित होगी।

(6) आईएसओ टैंक कंटेनर जिसकी क्षमता 7.5 किलोलीटर से अधिक लेकिन 15 किलोलीटर से कम है, 1 बैफल प्लेट प्रदान की जाएगी। 15 किलोलीटर या अधिक लेकिन 22.5 किलोलीटर से कम क्षमता वाले आईएसओ टैंक कंटेनर में 2 बैफल प्लेटें

प्रदान की जाएंगी। 22.5 किलोलीटर या उससे अधिक क्षमता वाले आईएसओ टैंक कंटेनर में 3 बैफल प्लेटें प्रदान की जाएंगी।

(7) ऐसे आईएसओ कंटेनर में पेट्रोलियम उत्पाद का अधिकतम पेलोड आईएसओ कंटेनर की अधिकतम क्षमता के 95% तक निर्बंधित होगा।

स्पष्टीकरण- मुख्य नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित, बैफल प्लेटें धातु की प्लेटें हैं जो क्षैतिज या लंबवत रूप से आईएसओ टैंक के अंदर के हिस्से से जुड़ी या छितरित होती हैं और नियमित अंतराल पर निश्चित विभाजन या कंपार्टमेंट्स के रूप में नहीं होती हैं और पेट्रोलियम उत्पाद की वृद्धि को रोकने में सक्षम होती हैं।

[फा. सं. एम/11011(21)/1/2021/-ओएमसी-पीएनजी]

सुजाता शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट - भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 204(ई) तारीख 13 मार्च, 2002 के द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और इसे अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 196(ई), तारीख 17 मार्च, 2021 के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2024

G.S.R. 154(E).—WHEREAS the draft of the Petroleum (Amendment) Rules, 2023, was published as required under sub-sections (2) and (3) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934) by the Ministry of Petroleum and Natural Gas *vide* notification number G.S.R 814(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 31st October, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of forty-five days from the date on which notification was made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said notification was made available to the public on the 1st November, 2023;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public in respect of the draft rules have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sections 4, 5, 14, 21, 22 and sub-section (1) of section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum Rules, 2002, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum Rules, 2002, -

(i) in rule 2, in sub-rule (1), -

(a) after clause (xiv), the following clauses shall be inserted, namely: -

‘(xiva) “Heavy machinery” means heavy-duty machine, specially designed for executing construction or agricultural tasks or purely off-highway construction or lifting equipment vehicle designed and adopted for use within the premises, factory, port or mine other than road network, not equipped to travel on public roads on their power;

(xivb) “Heavy vehicles” means vehicles designed with suitable implements for various field operations including agriculture, mining, industrial undertaking, irrigation and construction, modified and manufactured with "on or off" or "on and off" highway capabilities and is a non-transport, non- goods or non-passenger vehicle;

Explanation. - For the purpose of this clause, “Heavy vehicles” does not include tractors as defined in the Motor Vehicle Act, 1988.’;

(b) after clause (xvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

‘(xvii) “ISO tank container” means a petroleum freight container, mounted with an ISO tank container framework, secured by twister locks, suitable for carriage of liquid petroleum which may be loaded or unloaded by

gravity or pressure discharge, for conveyance by road, rail or sea, including interchange between these forms of transport and conforms to design, specifications and testing, marking as per national or international standards accepted by the Chief Controller or Controller;

(xvib) “ISO tank container framework” means tank mountings, end structure and all load bearing elements not present to contain cargo, which transmits static and dynamic forces arising out of lifting, handling, securement and transporting of the tank container as a whole and conforms to design, specifications and testing as per national or international standards accepted by the Chief Controller or Controller;’;

(c) in clause (xxiv), after the word “purposes”, the words “including non-fuelling facilities installed outside the extent of hazardous areas of service station as defined in the FOURTH SCHEDULE” shall be inserted;

(d) in clause (xxvi), after the word “petroleum”, the words “including ISO tank container” shall be inserted;

(e) after clause (xxxiii), the following clause shall be inserted, namely: -

‘(xxxiiia) “Third Party Inspection Agency (TPIA)” means a professional organisation recognised by the Chief Controller or Controller to carry out testing and certification under these rules including safety audit of major accident hazards premises as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 and having persons with qualifications and experience as applicable to the competent persons;’;

(ii) in rule 4, after the sub-rule (3), the following shall be inserted, namely: -

"(4) Nothing in these rules shall apply for import of containers containing petroleum for research and development purpose provided that the packing conforms to the International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations as amended from time to time.";

(iii) in rule 8, -

(a) in sub-rule (1), for the words “to have been so repaired”, the words “or TPIA” shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3) The fee for testing and certification shall be as specified in PART B of the FIRST SCHEDULE.”;

(iv) in rule 13, -

(a) in sub-rule (1), for the words “by a crossed bank draft of a nationalised or scheduled bank drawn in favour of the Chief Controller of Explosives, payable at Nagpur or through e-payment”, the words “through e-payment or through Non-Tax Receipt Portal” shall be substituted;

(b) sub-rule (2) shall be omitted;

(v) after rule 14, the following rule shall be inserted, namely: -

“14A. **Restriction on import and transport of ISO tank containers.** - (1) No person shall import any ISO tank container filled or intended to be filled with petroleum without obtaining import permission from the Chief Controller or Controller.

(2) Any person seeking import permission under sub-rule (1) shall submit an application in FORM VII (A) to the Chief Controller or Controller along with the following documents, namely: -

(a) copy of valid licence issued in FORM XV having adequate capacity to accommodate the whole contents of the ISO tank container;

(b) manufacturer’s inspection, test reports and two copies of design drawings showing design details, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials of construction of the ISO tank container duly endorsed by the competent agency of the country of origin;

(c) copy of periodic inspection and testing including Hydro Test Certificate and Container Safety Certificate issued by a competent agency of the country of origin;

(d) three copies of mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller or Controller;

(e) safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end-use location;

(f) self-declaration for the approximate date of return of ISO tank container after unloading or its retention in India on a permanent basis;

(g) scrutiny fees as provided in PART C of the FIRST SCHEDULE.

(3) upon fulfilment of the above conditions, the Chief Controller or Controller shall grant import permission valid for a maximum period of three years in the format as provided by the Chief Controller.”;

(vi) in rule 19, in sub-rule (1), -

(a) in clause (a), the word “and” shall be omitted;

(b) in clause (b), for the words “storage of such petroleum”, the following clause shall be substituted, namely:-

“storage of such petroleum; and

(c) import permission for ISO tank container granted by the Chief Controller or Controller issued under rule 14A, in case of import and transport of petroleum;”;

(vii) after rule 27, the following Part shall be inserted, namely: -

**“PART IV
IMPORTATION BY AIR**

27A. Restriction on import by air. - (1) No petroleum shall be imported by air except at the airports authorised for this purpose by the Central Government in consultation with the Chief Controller.

(2) Petroleum not permitted by the International Air Transport Authority regulations or Director General of Civil Aviation, shall not be imported by air.

(3) Any person holding a license for the import and storage of petroleum or his authorised agent shall declare before bringing the petroleum into the airport to the officer in-charge of the airport and to the Commissioner of Customs, furnishing the complete particulars of the petroleum intended to be imported.

(4) The proper arrangements shall be made by the importer to take direct delivery of the imported petroleum and remove the same from the airport.

27B. Declaration and certificate to be furnished and licence to be produced before importing petroleum by air. - Every person desiring to import petroleum by air shall furnish to the Commissioner of Customs the following documents, namely: -

(a) a declaration in FORM I signed by him or his agent;

(b) a certificate of storage accommodation in FORM II signed by him or his agent;

(c) an authenticated copy of the licence held for the importation and storage of such petroleum;

(d) a landing permit from the Director General of Civil Aviation; and

(e) a consent letter from the respective flight operator for the transportation of petroleum by air;

Provided that nothing in this rule shall apply to the importation of petroleum exempted under sections 7, 8 and 9 of the Act.

Provided further that the furnishing of licence under clause (c) shall not be necessary for the importation of petroleum class C, in bulk, in quantity exempted under section 7 of the Act.

27C. Permission of Commissioner of Customs to unload petroleum. - (1) No petroleum shall be unloaded except with the permission of the Commissioner of Customs.

(2) the Commissioner of Customs shall make such inquiries as he deems necessary and is satisfied that the petroleum can be lawfully imported and that there is suitable accommodation, he shall permit it to be unloaded after receiving the following documents, namely: -

(a) testing report on the Petroleum;

(b) certificate in FORM II, if required by rule 27B;

(c) landing permit from the Director General of Civil Aviation, if required by rule 27B;

(d) consent letter from the respective flight operators for transportation of petroleum by air; and

(e) licence, required under rule 27B;

(3) If the Commissioner of Customs is satisfied that any petroleum imported is not intended to be stored in India but is intended to be dispatched immediately after unloading to any place outside India, he may waive the requirements of rule 27B and by written order permit, subject to such conditions as may specify, such petroleum to be unloaded for the purpose of immediate dispatch to that place.

(4) Nothing in this rule shall affect the power of the Commissioner of Customs to detain petroleum under any other law or rule for the time being in force.;

(viii) in rule 32, -

(a) in sub-rule (1), after the word “vessel”, the words “, ISO tank container” shall be inserted;

(b) in the *Explanation*, after the words “Chief Controller”, the words “or Controller” shall be inserted;

(ix) in rule 70, in sub-rule (1), in clause (iii), after proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that nothing in clause (ii) and (iii) of this rule shall apply to the vehicle with engines of type BS-IV or upgraded version as specified by Road Transport Authority from time to time.”;

(x) in rule 75, -

(a) in sub-rule (1), after the word “licence”, the words “or permission” shall be inserted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(3) Permission shall be obtained from the Chief Controller or Controller for transportation of petroleum Class A or B by road in the ISO tank container and such permission shall remain valid for a period of one year from the date of issue in the format as prescribed by the Chief Controller;

(4) (a) A person desiring permission under sub-rule (3) shall submit an application in FORM VII A to the Chief Controller or Controller with a scrutiny fee as specified in PART C of the FIRST SCHEDULE;

(b) the Chief Controller or Controller, after receipt of the application under sub-rule (a) and after making such further inquiries as deems necessary, is satisfied that the vehicle meets the requirements laid down in these rules, shall issue a permission for transportation of petroleum Class A or B in ISO Tank Container to the applicant with one copy of drawing duly endorsed.”;

(xi) in rule 76, in sub-rule (3), in the proviso, after the symbols, figures and words “(22 of 1934)”, the words and figures “and on-site refuelling of heavy vehicle, heavy machinery or stationary equipment by vehicles licensed under FORM XIX of these rules” shall be inserted;

(xii) in rule 77, in clause (i), after the words “re-tested”, the words “by a competent person or TPIA” shall be inserted;

(xiii) in rule 85, -

(a) in sub-rule (1), for the words “competent responsible person”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted;

(b) after sub-rule (4), the following shall be inserted, namely: -

“(5) The ISO tank container framework or the ISO tank container shall be tested after each repair in the manner laid down in the code of fabrication”;

(xiv) in rule 89, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3) On receipt of the drawings along with fee under sub-rule (2) and after eliciting such additional information as may be required, the Chief Controller may approve the proposed pipeline subject to such conditions as deemed fit.”;

(xv) in rule 90, in sub-rule (1), after the word “steel”, the words “or any other suitable materials approved by the Chief Controller” shall be inserted;

(xvi) in rule 93, after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely: -

“(2A) The hydrostatic testing of the pipeline shall be carried out by a competent person or TPIA.

(2B) The competent person or TPIA shall carry out the test as required under sub-rule (1) and issue a certificate; the certificate so issued shall be submitted to the Chief Controller.”;

(xvii) in rule 98, for the words “involving cutting or re-welding”, the words “or hot work” shall be substituted;

(xviii) in rule 106, -

(a) in sub rule (1), in the proviso, after the figure “60079-II”, the letters and figures, “, IS/IEC 60079-26” shall be inserted;

(b) in sub-rule (2), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) a flameproof or pressurised type or powder-filled or oil immersed or increased safety or intrinsically safe or encapsulated apparatus conforming to IS/IEC 60079-1, IS/IEC 60079-2, IS/IEC 60079-5, IS/IEC 60079- 6, IS/IEC 60079-7, IS/IEC 60079-11, IS/IEC 60079-18 and any other equivalent standard approved in writing by the Chief Controller; or”;

(c) in sub-rule (3) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely: -

“(i) non-sparking apparatus conforming to IS/IEC 60079- 15 and of a type approved in writing by the Chief Controller; or”;

(d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(3A) The selection of Ex-Electrical Apparatus shall be as per equipment protection level (EPL) as defined in IS 16724:2018/IEC60079-14 or IEC 60079-14 or any other equivalent standard accepted in writing by the Chief Controller.”;

(xix) in rule 114, after the word “person”, the words “who is an electrical engineer” shall be inserted;

(xx) in rule 117, in sub-rule (4), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) Scale of firefighting provided on other areas of new or upcoming installation shall be as per the requirement given in OISD Standard 244. Installations already approved by the Chief Controller shall be governed by the OISD Standard 117.”;

(xxi) in rule 120, after sub-rule (5), the following *Explanation* shall be inserted, namely: - “*Explanation.* - For the purposes of this rule, it is clarified that with regard to drainage, the Standards as applicable shall be followed.”;

(xxii) in rule 122, the following *Explanation* shall be inserted, namely: -

“*Explanation.* - The Chief Controller or Controller is authorised to permit use of service station for other purposes not directly connected with storage and distribution of petroleum.”;

(xxiii) in rule 124, in sub-rule (1), after the letters and figures “API:650”, the words, letters and figures “or ASTM D3299-18, BS EN 13121-3, UL1316” shall be inserted;

(xxiv) in rule 126, -

(a) in sub-rule (1), after the words “competent person”, the word and letters “or TPIA” shall be inserted;

(b) in sub-rule (3), after the words “competent person”, word and letters “or TPIA” shall be inserted;

(c) in sub-rule (4), for the Proforma of Certificate of Tank Testing, the following Proforma shall be substituted, namely: -

“Proforma of Certificate of Tank Testing

[See rule 126]

Sl. No.	Tank identification No	Diameter in meter	Height or length in meter	Construction standard	Type of tank	Capacity	Class of Petroleum	Test date
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								

In respect of the above tanks, installed within the installation or service station of
(delete words not applicable) (full name of occupier of installation/service station as the case may be)
..... at..... (Name of place, police Station, District State)
covered by licence number

(To be filled in the case of amendment of licence or repair of tank)

Certified that I have in accordance with rule 126 of the Petroleum Rules, 2002, tested the tanks described above by water pressure as specified in the design code after they had been installed and secured in the final position/repared and found them free from leak and suitable for the storage of Petroleum (delete words not applicable).

I/We declare that the particulars given above have been checked up by me/us and are correct. I/We, were present at the premises and tested the aforesaid tanks, particulars of which are given above, in accordance with the provisions of the Petroleum Act, 1934, and the rules framed thereunder and any other law or rules for the time being in force.

Date Full signature of the competent person or TPIA issuing the certificate

.....

His recognised qualification.....

His full name and postal address”;

(xxv) in rule 130, -

(a) in sub-rule (1), after the words “competent person”, the word and letters “or TPIA” shall be inserted;

(b) after sub-rule (1b), in the Proforma relating to Certificate of Safety, after the word and letters “competent person”, the word and letters “or TPIA” shall be inserted;

(c) in sub-rule (2), in clause (i). -

(i) after the words “competent person”, the word and letters “or TPIA” shall be inserted;

(ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely: -

“(c) the recognition shall be granted for a period of five years and may be renewed every three years based on the performance report and submission of the medical fitness certificate by a registered medical practitioner recognised by the Medical Council of India, till the competent person or TPIA attains the age of sixty-five years.”

(d) in sub-rule (2), in clause (ii), after the words “competent person”, the word and letters “or TPIA” shall be inserted;

(xxvi) in rule 144, -

(a) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(6a) There shall be no requirement of No Objection Certificate from District Authority under sub-rule (1) for a licence in FORM XIV forming a part of the CNG station licensed in FORM “G” under the Gas Cylinder Rules, 2016 or Auto LPG dispensing station licenced in FORM “LS-1B or LNG dispensing station licensed in FORM “LS-1C” under the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules, 2016.”;

(b) in sub-rule (7), for the Proforma relating to No Objection Certificate, the following Proforma shall be substituted, namely: -

“Proforma

No Objection Certificate

[See rule 144]

No.....

Date.....

Subject: No objection certificate

With reference to the application No..... dated submitted by.....and in pursuance of rule 144 of the Petroleum Rules, 2002, there is no objection for granting licence under the Petroleum Rules, 2002 to Shri/Smt./M/s..... address..... for storage of petroleum products in their premises at Survey No...../Gata No...../Khasra No.....Plot No.....,Village.....Taluka/Tehsil.....District.....State.....as shown in the site plan duly endorsed and enclosed herewith.

(1) The following particulars have been considered while issuing this no-objection certificate, that-

(a) comments from the Revenue Department on the issue, regarding the possession of the site by the applicant is lawful and there is an authorisation from the land owner or leaseholder for developing premises under these rules for storage of petroleum products;

(b) comments from the Police Department regarding traffic density and impact on traffic;

(c) comments from the concerned Municipal Corporation or Gram Panchayat or local area development authority as applicable, regarding the conformity of proposal to the local area development planning including schools, hospitals and mitigating measure, if any, is provided;

(d) comments from the National Highways Authority of India or Public Works Department or any other authority concerned regarding road safety, road alignment and road access conformity;

(e) comments from the Fire Department regarding accessibility of the site to the fire tenders in case of emergency and preparedness of fire services for combating the emergencies.

Signature of the district authority issuing no objection certificate with his office seal (in towns having a Commissioner of Police, the Commissioner or a Deputy Commissioner of Police and for any other place the District Magistrate)

Note: The licensing authority shall accept the no objection certificate within a period of three years from the date of its issue for considering the grant of licence.”;

(xxvii) in rule 146, in sub-rule (2), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely: -

“(ii) a fee as specified in PART C of the FIRST SCHEDULE for scrutiny of the proposed alteration.”;

(xxviii) in rule 200, -

(a) in sub-rule (1), in clause (a), after the word “fax”, the words “and email or other electronic modes of communication” shall be inserted;

(b) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that such a visit by the Chief Controller or his representative shall be made as expeditiously but not later than seven days from the date of notice of such accident.”;

(xxix) in the FIRST SCHEDULE, -

(a) in PART B, -

(i) in Sl. No.5, in the column relating to Purpose, after the words "Under rule ", the figure and word, "8 and" shall be inserted;

(ii) in Sl. No.6, in the column relating to Purpose, after the words "Under rule ", the figure and word, "8 and" shall be inserted;

(b) for PART C, the following PART C shall be substituted, namely: -

“PART C

FEE OTHER THAN LICENCE FEE

Sl. No.	Items	Fee (Rs.)	Rule
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	For approval of container for petroleum class A or class B	5000	4(2)
2.	Import permission for ISO tank container	5000	14(A)
3.	Ports into which petroleum may be imported	10000	16(4)(d)
4.	Loading and unloading of bulk petroleum from any ship or barge at any place	6000	44(2)(d)
5.	(i) Approval of tank vehicle or refueller or safety fitting fabrication shop (ii) Renewal of fabrication shop for three years (iii) Approval of tank mounting drawings (iv) Approval of design of safety fittings of tank vehicle or refueller	1500 1500 1000 2000	63(2)
6.	Permission for transportation of ISO tank container within the Indian	5000	75(3)

	territory		
7.	Approval of the design and route of the pipeline	5000	89(2)(ii)
8.	Additions and alterations in the pipeline	2000	97(2)(b)
9.	Electric apparatus for use in hazardous areas	2000	106(4)
10.	(i) Recognition of competent person or TPIA	5000	130(2)(i)
	(ii) Renewal of recognition of competent person or TPIA for three year	3000	
11.	Prior approval of specifications and plans of premises	2000	131(1)(b)
12.	Scrutiny Fee for prior report of storage of Petroleum Class C	2000	140(ii)
13.	Prior approval for addition and alteration	2000	146 (2)(ii)
14.	Amendment of licence	2000	147(2)
15.	Transfer of licence	2000	156(2)(iv)
16.	New licence for unexpired portion of original licence	1000	157(3)
17.	Duplicate copy of licence	1000	158
18.	Authenticated copy of the licence	500	159(2)(a)
19.	Approval of refinery	15000	162(3)(ii)
20.	Amendments in refinery	5000	164(2) (ii)
21.	Certificate of tests in FORM VI	2000	195(2)
22.	(1) Fee for inspection and comparison shall be as follows:		196
	(i) test apparatus	1000	
	(ii) comparing a privately owned test apparatus with the		
	(2) standard test apparatus shall be as follows:		
	(i) test apparatus	1500	
	(ii) barometer	1000	
	(iii) thermometer	1000	
23.	Testing each sample of petroleum.	1000	197";

(xxx) in the SECOND SCHEDULE, -

(a) for FORM I, the following FORM shall be substituted, namely: -

“FORM I

[See rules 17, 26 and 27B (a)]

Declaration to be made by the master or agent of a ship carrying petroleum by sea before entering a port or by the importer or his agent before importing petroleum by land or by air

1. Name of ship or aircraft
2. Name of applicant.....
3. Applicant’s full postal address and pin code.....
4. Applicant’s telephone number and email.....

Particulars of the carriage

Name of Petroleum	Total quantity in the ship or carriage or aircraft	Quantity of petroleum to be landed in India	Remarks
Petroleum Class A which can be used in an internal combustion engine			
Other Petroleum Class A			
Petroleum Class B			
Petroleum Class C			

Signature of Master or agent of the ship / or importer”;

(b) for FORM II, the following FORM shall be substituted, namely: -

“FORM II

[See rules 19, 26 and 27B (b)]

Certificate of storage accommodation

I hereby declare that I propose to store the following consignment of petroleum arriving per(name of ship or particulars of carriage or aircraft) in(name of port or place of Import or name of airport) on or about(date, month, year) at the storage tanks or shed, particulars of which are given in item (i) and (ii) of column (1) of the statement below and I certify that the capacity as shown as available and shown as available in item (iii) of the said column are duly licensed for the storage of petroleum in question.

Particulars of storage license for the premises wherein the imported petroleum shall be unloaded:

Renewed / valid up to _____

Signature of importer or his agent

Name in full with designation: _____

Complete correspondence Address: _____

Dated the

Statement

Description of import and storage capacity		Petroleum Class A	Petroleum Class B	Petroleum Class C
A	(i) Total licensed capacity of storage tanks			
	(ii) Total capacity available in storage tanks			
	(iii) Capacity to be utilised by present consignment			
B	(i) Total licensed capacity of storage sheds			
	(ii) Total capacity available in storage sheds			
	(iii) Capacity to be utilised by present consignment”;			

(c) in FORM VII, in PART B, for the words “recognized engineer”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted;

(d) after FORM VII, the following FORM shall be inserted, namely: -

“FORM VII A**[See rules 14A and 75(3)]**

Application for the grant of permission to import ISO tank container in India or transport Petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO tank container within Indian territory:

1. Name in which permission is required:

- (i) Applicant's name
- (ii) Applicant's full postal address
- (iii) Contact Number and E-mail

2. Particulars of storage licence held by the applicant in FORM XV under the Petroleum Rules, 2002:

- (i) Number and date of storage licence issued by the Chief Controller/Controller
- (ii) License valid up to
- (iii) Licensed Capacity for different Class of petroleum

3. Description of the ISO tank container:

- (i) Owner's code and serial number
- (ii) Manufacturer's serial number

- (iii) Model number
- (iv) Country of manufacture
- (v) Year of manufacture
- (vi) Approval country
- (vii) Authorised body for design approval
- (viii) Specification of ISO tank container and ISO tank container framework
- (ix) Name of manufacturer
- (x) Maximum allowable working pressure
- (xi) Test pressure
- (xii) Initial pressure test date
- (xiii) Design temperature range
- (xiv) Material of construction
- (xv) Water capacity of the ISO tank container
- (xvi) Unladen tare weight of ISO tank container
- (xvii) Payload of the petroleum product
- (xviii) Inspected and tested by
- (xix) Specification of the safety fittings fitted to the ISO tank container including operating parameters
- (xx) Design drawing
- (xxi) Mounting drawing
- (xxii) *Filled with _____
- (xxiii) True chemical name and class of petroleum
- (xxiv) Quantity of Petroleum filled or intended to be filled in the ISO tank container in kilolitre and also in percentage.

(xxv) Date of last hydraulic test

4. Make and model of the vehicle chassis to be used for ISO tank container mounting:

- i. Registered laden weight or gross vehicle weight or gross combined weight of the vehicle chassis
- ii. Unladen weight of vehicle chassis with trailer

5. Name of the port of import or place of loading

6. Remarks:

I/We declare that the particulars given above have been checked up by me/us and are correct. I/We undertake of transport petroleum in ISO tank container particulars of which are given above, in accordance with the provisions of the Petroleum Act, 1934, and the rules framed thereunder and any other law or rules for the time being in force. I/We understand that any contravention of the said Act and the Rules framed thereunder is punishable for the first offence with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and for every subsequent offence with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to five thousand rupees or with both.

Date of application

Signature of applicant

Postal address of the applicant

Documents required to be submitted with this application in two sets-

- (1) a scrutiny fee of Rs. 5000 for grant of import permission for ISO tank container or Rs. 5000 for transport of petroleum Class A or Class B in bulk by road in ISO tank container within Indian territory;
- (2) a copy of valid licence issued in FORM XV having adequate capacity to accommodate whole contents of the ISO tank container;
- (3) manufacturer's inspection and test reports of the ISO tank container duly endorsed by the competent authority of the country of origin;
- (4) a copy of periodic inspection and testing including hydro test certificate and Container Safety Certificate issued by competent authority of the country of origin;
- (5) design drawing showing the design details of the ISO tank container, water capacity of the tank, its fittings and particulars of specifications of the materials used in construction thereof duly endorsed by competent authority of the country of origin;
- (6) approved detailed vehicle mounting drawing for transportation by road duly approved by the Chief Controller;
- (7) Safe operating procedure for handling and transportation of the ISO tank container from the port of import to the end-use location.”;

(e) In FORM VIII, -

- (i) for the word and letters “PART II”, the word and letter “PART B” shall be substituted;
- (ii) for the words “recognized engineer”, the words “competent person or TPIA” shall be substituted;

(f) in FORM XIV, -

- (i) in condition 5, after the words "another tank", the word "except with the previous sanction in writing of the licensing authority" shall be inserted;
- (ii) in condition 13, in clause (a), after the words “piping”, the words “or non-metallic flexible piping as approved by the Chief Controller” shall be inserted;
- (iii) in condition 13, in clause (b), after the words “piping”, the words “or non-metallic flexible piping as approved by the Chief Controller” shall be inserted;
- (iv) in condition 21, for the figures “1981”, the figures “2016” shall be substituted;
- (v) after condition 24, the following condition shall be inserted, namely;

“25. The licensing authority may specify in writing any additional condition which is, in the opinion of such authority, necessary for installation of any other facility other than fuelling of the motor vehicle or the safety of the premises.”;

(g) in FORM XIX, for the entry relating to “(b) Petroleum Class A or B for on site reFuelling of Vehicles/Machineries/Stationery Equipments”, the following entry shall be substituted, namely: -

“(b) PETROLEUM CLASS B FOR ON SITE REFUELLING OF HEAVY VEHICLES/HEAVY MACHINERIES/STATIONARY EQUIPMENTS.”;

(h) in FORM XX, -

(A) for the brackets, words, figures and letters “[See rules 2(vi) and 130]”, the brackets, words, figures and letters “[See rules 2 (vi), (xxxiia), 8, 93, 126 and 130]” shall be substituted;

(B) for the table and the entries relating to “A. QUALIFICATION AND EXPERIENCE OF COMPETENT PERSON”, the following shall be substituted, namely: -

“A. Qualification and Experience of Competent Person and Third Party Inspection Agency:

Sl. No.	Rule under which competency is recognised	Qualification and other requirements	Experience for the purpose
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rules 8, 126 and 130	1. Degree in any branch of engineering from a recognised University or equivalent; 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination	Minimum experience of five years in testing, fabrication or installation or inspection of petroleum tanks or operation and maintenance of petroleum storage installations.
2.	PART B of Forms VII and VIII	1. Degree or Diploma in any branch of engineering from a recognised University or equivalent; 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination	Minimum experience of five years in testing and fabrication or mounting of petroleum transport tanks and operation and maintenance of petroleum tank vehicles.
3.	Rule 93	1. Degree in Chemical or Mechanical or Metallurgy engineering from a recognised University or equivalent; 2. Physically fit and mentally sound for carrying out tests and examination.	Minimum experience of five years in testing, fabrication or installation, maintenance of petroleum or liquefied petroleum gases or Natural Gas pipelines.”;

(C) after the table and the entries relating to B. Application for Recognition as a Competent Person under Rule 126, 130 or Part of FORM VII or VIII, the following shall be inserted, namely: -

“C. Application for recognition as Third Party Inspection Agency (TPIA)

1. Name and full address of the organisation with contact number and E-mail:
2. Organisation status (proprietary firm, partnership firm, Government organisation, Public Sector Undertaking, Autonomous body, Company registered under Company Act, etc):
3. (i) Set up of the organisation:
(ii) Name and qualification (of constituent members of the organisation):
(iii) Particulars of professional experience in chronological order:

Sl. No.	Name of the Organisation	Period of service	Designation	Area of responsibilities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				

Note: *The constituent members of organisation shall have experience with regard to identification of hazards, process safety, process controls, automation or instrumentation, electrical audits or HAZOP Study, On Site Emergency Plan, Quantitative Risk Analysis, Dispersion Models, Pre Commissioning Safety Audits, hydro testing of cross country pipelines, operations or maintenance or inspection of petroleum refineries or petrochemical complex or ports or jetties or cross country pipelines or any other premises classified as per the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989. (Please attach documentary evidence of the experience)*

4. Membership, if any, of professional bodies:
5. Whether the constituent members of the organisation has been declared as competent person under any statute (if so, give details)
6. Any other information:
7. Declaration by each constituent member (to be submitted by each member as per enclosed format):
8. Declaration by Principal Member (to be submitted by the Principal Member as per enclosed format):

Place: **Signature of the Head of the organization**

Date: **Name and Designation**

Seal of the Institution

Format for declaration

Declaration by each constituent member:

I hereby declare that the information furnished above is true. I undertake –

- (a) that in the event of my leaving the aforesaid organisation, I will promptly inform the Chief Controller;
- (b) to fulfill and abide by all the conditions stipulated in the rules for TPIA and instructions issued by the Chief Controller from time to time.

Declaration by Principal Member:

I, _____ certify that Shri/Smt _____ whose particulars are furnished above, is constituent member of the Third Party Inspection Agency. I also undertake that I will

- (a) notify the Chief Controller in case the member leaves our agency;
- (b) provide and maintain in good order all facilities at his disposal as mentioned above;
- (c) Notify the Chief Controller any change in the facilities.”;

(xxxi) in the THIRD SCHEDULE, -

(a) in item 11 relating to Emergency venting for fire exposure, the words “, but, fusible vents shall not be provided on tanks of capacity 25 Kilolitres and above” shall be omitted;

(b) after item 15 relating to Marking and Certifying, the following shall be inserted, namely: -

“16. Tank vehicle for ISO tank containers. - (1) ISO Tank container, associated piping, fittings and the framework suitable for carriage of liquid petroleum shall conform to design, specifications, testing and marking as per national or international standards accepted by the Chief Controller.

(2) ISO tank container framework including the ISO tank mountings, end structure and all load-bearing elements not present for the purposes of containing cargo, which transmits static and dynamic forces arising out of lifting, handling, securement and transporting of the ISO tank container as a whole and conforms to design, specifications and testing as per national or international standards accepted by the Chief Controller.

(3) There shall be no requirement for a baffle inside the ISO tank container for transportation of petroleum if the capacity of ISO tank container is not exceeding 7.5 kiloliters.

(4) The maximum capacity of ISO tank container shall not exceed 26 kiloliters.

(5) The maximum capacity shall be restricted corresponding to gross vehicle weight certified by the Regional Transport Office.

(6) ISO tank container having capacity of more than 7.5 kiloliters but less than 15 kiloliters shall be provided with 1 baffle plate. ISO tank container having capacity of 15 kiloliters or more but less than 22.5 kiloliters shall be provided with 2 baffle plates. ISO tank container having capacity of 22.5 kiloliters or more shall be provided with 3 baffle plates.

(7) The maximum payload of the petroleum product in such ISO container shall be restricted to 95% of the maximum capacity of ISO container.

Explanation. - As approved by the Chief Controller or Controller, baffle plates are metal plates attached or suspended to the inside portion of an ISO tank either horizontally or vertically and at regular intervals not amounting to fixed partitions or compartments and capable of arresting the surge of petroleum product.”.

[F. No. M/11011(21)/1/2021/-OMC-PNG]

SUJATA SHARMA, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 204(E), dated the 13th March, 2002 and last amended vide notification number G.S.R. 196(E), dated the 17th March, 2021.